उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-34/2017/608/37-1-2017-3 (41)/2015

लखनऊ: दिनॉक: अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 नेमीचन्द्र सेवा निवृत्त मुख्य पशुचिकित्सधिकारी के विरूद्व जनपद हमीरपुर में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बकरियों/बकरों की खरीद में की गयी अनियमितता तथा अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति बरती गयी उदासीनता एवं लापरवाही आदि आरोपों के दृष्टिगत शासन के कार्यालय आदेश संख्या- 3821/37-1-2015-4(41)/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। संस्थित कार्यवाही के संचालन हेतु डा0 अनिमेष पाल सिंह, अपर निदेशक ग्रेड-2 बी0पी0 संस्थान को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में आरोप-1 एवं 2 सिद्व पाया गया। सिद्व पाये गये आरोप के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-343/37-1-2016-3(41)/2015 दिनांक 07 मार्च, 2017 द्वारा डा0 नेमी चन्द्र का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया जो उनके पत्र दिनांक 25.03.2017 द्वारा प्राप्त हुआ।

जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, डा0 नेमी चन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत एतदद्वारा आरोप सिद्व न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल डा0 नेमी चन्द्र, से0नि0 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हमीरपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2017/608(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in